संख्या 8/2016/ 649/सत्रह-म-2016-6-9(139)/2012

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय - प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या – 2340/ सा0शा0/ दिनांक 19 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मोटर गाडी के क्रय हेतु आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष मा0 सलाहकार के उपयोगार्थ 01 मारूति सियाज कार, जिसकी कीमत रू0 772887.90 तथा 05 महिन्द्रा बुलेरो जीपें जिसकी प्रति जीप कीमत रूपये 664102.00 है के क्रय की अनुमति प्रदान की जाती है ।

उक्त 05 बुलेरो जीप तथा 01 मारूति सियाज कार के क्रय करने हेतु कुल धनराशि रूपये 4093397.90 (रूपये चालीस लाख तिरान्बे हजार तीन सौ सत्तानबे नब्बे पैसे मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वाहन क्रय के लिए समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों/ शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(2) निदेशक मत्स्य यह सुनिश्चित कर लेगें कि जो वाहन निष्प्रयोज्य किये गये है वह परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 04-10-1997 में निहित व्यवस्थानुसार/मानदण्डों के अनुसार ही निष्प्रयोज्य किये गये हैं तथा इनके बदले कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है।

(3) प्रश्नगत वाहन का क्रय परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1986 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर के अनुसार किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वाहन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा ।

(5) उक्त वाहनों का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही द्वविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या – 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन –आयोजनेत्तर-001- निदेशन तथा प्रशासन -03- अधिष्ठान – 14- मोटर गाडियों के क्रय के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

संख्या: 8/2016/ 649 /सत्रह-म- 2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2 महालेखाकार ( लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदश इलाहाबाद।
3 वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5 वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी )
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।